मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12.1.2000

क्र.एफ-25/62/99/पी.डबल्यू.सी./चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- सेवापुस्तिका में अंकित जन्मतिथि की काँट-छाँट, उपरिलेखन, परिवर्तन के संबंध में।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ बी-25/29/94/पी.डवल्यू.सी./चार, दिनांक 1.7.95 द्वारा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 23.12.94 को अधिक्रमित करते हुए जन्मतिथि की काँट-छाँट के प्रकरणों में जन्मतिथि को मान्यता प्रदान करने के अधिकार संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित किये गये हैं। वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 23.8.96 द्वारा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 1.7.95 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर सेवापुस्तिका में काँट छाँट नहीं है, लेकिन अंकित जन्मतिथि को किसी न्यायालय के आदेश के अनुरूप अथवा किसी और वजह से परिवर्तित किया जाना है, तो यह अधिकार प्रशासकीय विभाग को होंगे।

2. जन्मतिथि की काँट-छाँट के प्रकरणों के निराकरण में सुविधा की दृष्टि से यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि शासकीय कर्मचारी की सेवापुस्तिका में वार्षिक सेवा सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रमाण-पत्र अंकित किया जावे:-

''शासकीय अभिलेखों के आधार पर दिनांक .... से .... तक सेवा सत्यापित की गई। सेवापुस्तिका निरीक्षण में कु./श्रीमति/श्री. .... की जन्मतिथि में कोई काँट छाँट या संशोधन नहीं है।''

3 शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका कई भागों में संधारित की जाती है। अत: जिन शासकीय सेवकों की सेवापुस्तिका के एक से अधिक भाग संधारित हों, उन मामलों में यह सुनिश्चित किया जावे कि सेवापुस्तिका के प्रत्येक भाग में जन्मतिथि एक जैसी है तथा किसी भाग की जन्मतिथि की प्रविष्टी में कोई कांट छांट नहीं है।

4 इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(मिलिंद वाईकर)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग